UPMT010109782026

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–870/2026

उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

रोहित उर्फ रोहताश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–16/2026, धारा–309(4),317(2) बी.एन.एस., थाना–महावन, जिला–मथुरा के अभियुक्त **रोहित उर्फ रोहताश** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रस्तुत अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा सोमेश शर्मा द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसकी पत्नी दिनांक–20.01.2026 को समय करीब 11.35 बजे गोकुल से रमणबिहार कालोनी के लिये ई–रिक्शा से जा रही थी उसके साथ एक परिचित महिला काजल पत्नी रवि भी थी, जैसे ही ई–रिक्शा रमण बिहार कालोनी से पहले अग्रवाल भवन के पास मैन रोड पर पहुंचा, मोटरसाइकिल स्पेण्डर पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चलते ई–रिक्शा पर झपट मारी और उसकी पत्नी का मोबाइल ओप्पो ए–54 एवं पर्स जिसमें 3000/–रूपये व चाबियां थी। झपटमारी के दौरान उसकी पत्नी सड़क पर गिर गयी जिससे उसको काफी चोटे भी आयी है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्व उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर उक्त मामले में धारा–317(2), बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि, वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया था। अभियुक्त मामले में नामजद अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त के कब्जे से कोई भी लूट का मोबाइल एवं पैसे बरामद नहीं हुए हैं, जो मोबाइल बरामद होना दर्शाया है, वह पुलिस ने फर्जी तरीके से प्लांट किया है। कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त को दिनांक–21.01.2026 को घर से उठा कर बंद कर दिया था और उसके उपर झूठे मुकदमें फर्जी तरीके से प्लांट कर दिये हैं। अभियुक्त की मुख्य अपराध संख्या–20/2026 में जमानत स्वीकार हो चुकी है तथा अभियुक्त की अ०सं०–19/2026 में भी जमानत स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–23.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 10:31:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पत्नी से चलते ई–रिक्शा पर झपट मारकर मोबाइल ओप्पो ए–54 एवं पर्स जिसमें 3000/–रूपये व चाबियां लूटने एवं झपटमारी के दौरान उसकी पत्नी को सड़क पर गिराकर चोटे पहुंचाने का आरोप है। उक्त घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–23.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त मामले में पूर्व में इस न्यायालय से सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–10.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।